	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/3/23	अधिवक्तागण हड़ताल में होने के कारण पत्रावली आइन्दा दिनांक 27/3/23 को पेश हो।	
27/03/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की ओर से पेश होकर उप० तहसीलदार सेरवा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 31/03/2023 को पेश हो।	
31/03/23	पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इलावा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 04/04/23 को पेश हो।	
04/04/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते बहस हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 13/04/23 को पेश हो।	
13/04/23	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट वकील उप० अपीलान्ट वकील ने बहस सुनने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि अपील स्वीकार करने योग्य है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी :– श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 07 / 2022

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

अपीलान्ट	बनाम	उतरदातागण
1. सोनाराम पुत्र हेमराज जाति कोली निवासी जगदम्बानगर–नवापुरा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर		1. कमा पुत्र हेमराज के कायम मुकाम 1 / 1. केसा पुत्र कमा 1 / 2. खीमा पुत्र कमा 1 / 3. दरगा पुत्र कमा 1 / 4. उगम पुत्री कमा 1 / 5. तुलसी पत्नि कमा 2. सवदान पुत्र हेमराज 3. छगन पुत्र हेमराज 4. भाणी पत्नि हेमराज जातियान कोली निवासी–जगदम्बानगर–नवापुरा, तहसील सेड़वा 5. हुकमाराम पुत्र तुलछाराम 6. मूलाराम पुत्र तुलछाराम 7. बाबु पुत्र विरधा 8. पुरखा पुत्र वीरधा के कायम मुकाम 8 / 1. प्रताप पुत्र पुरखा 8 / 2. कमलेश पुत्र पुरखा 8 / 3. जीवराज पुत्र पुरखा 8 / 1 से 8 / 3 नावालिग जरिए कुदरती वली माता श्रीमति भूरी पत्नि पुरखा उत्तदाता संख्या 8 / 4. भूरी पत्नि पुरखा 9. नवा पुत्र विरधा 10. अजा पुत्र विरधा 11. जोगा पुत्र विरधा 12. तीजों पत्नि विरधा 13. हकू पत्नि मोहन जाति कोली, निवासी दासोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 14. ग्राम पंचायत भंवरिया वर्तमान ग्राम पंचायत नवापुरा जरिए सरपंच 15. शाखा प्रबंधकः– एस.बी.आई. शाखा सेड़वा।

उपस्थित : अपीलान्ट वकील : श्री पवन धारीवाल

–: आदेश :–

दिनांक 13/04/23

अपीलकर्त्ता की अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 1 से 12 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 40 रकबा 59.05 बीघा मौजा जगदम्बानगर, खसरा संख्या 94 रकबा 08.04 बीघा मौजा नवापुरा एवं अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता 1 से 13 के खेत खसरा सख्या 246 / 163 रकबा 85.18 बीघा मौजा दासौरिया तहसील चौहटन वर्तमान तहसील सेड़वा में

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

हुए है। वास्तव में वक्त सेटलमेंट उपरोक्त खेत खरारा रांख्या 40, 94, 163 अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या 1 से 12 के पूर्वज मुतवफी सुजा पुत्र लाखा जाति कोली की खातेदारी में इन्द्राज कर पर्चा लगान जारी किया गया। सही प्रति खतौनी बन्दोबस्त खाता रांख्या 36 की प्रति संलग्न पेश है। सुजा पुत्र लाखा के देहान्त उपरोक्त खेत सुजा के वैध वारिसान उनके 7 पुत्र क्रमशः भगवाना, भेरा, हेमराज, तुलछा, वरधा, आईदान, किसना की खातेदारी में दर्ज किए गए एवं तत्पश्चात मुतवफी सुजा के 4 लड़के भगवाना, भैरा, आईदान, व किसना पाक चले गए जिसके कारण से उनका हिस्सा बिला कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में जरिए नामान्तरकरण संख्या 115 से अमलदरामद किया गया। तत्पश्चात सुजा के शेष 3 पुत्र तुलछा, हेमराज, वरधा के नाम से शेष खातेदारी खसरा नबर 40 रकबा 59.05 बीघा, खसरा सख्या 94 रकबा 08.04 बीघा, खसरा संख्या 163 रकबा 85.18 बीघा जरिए नामान्तरणकरण संख्या 115 से दर्ज की गई। उपरोक्त खेतों में सुजा के पुत्र भगवाना, भेरा, आईदान, किसना के पाक चले जाने से उनका हिस्सा राज्य सरकार को समर्पित हो गया एवं शेष हिस्सा पर क्रमशः अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता 5 व 6 के पिता तुलछा एवं उत्तरदाता संख्या 7 से 12 के पिता व पति विरधा की खातेदारी में इन्द्राज चले आ रहे थे। तत्पश्चात अपीलकर्त्ता के पिता हेमराज एवं उनके दोनो भाई तुलछा एवं विरधा के बीच बाहमी बंटवाड़ा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गए। इस प्रकार उपरोक्त खेतों में अपीलकर्ता के पिता हेमराज का 1/3 हिस्सा विधिनुसार निहित था एवं 1/3 हिस्से पर उनका कब्जा व काश्त विद्यमान था। अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता संखा 1 से 4 के पिता व पति मुतवफी हेमराज तत्सयम कर्त्ता खानदान थे तथा उनका संयुक्त अविभाजित परिवार था तथा उपरोक्त खातेदारी खेतों में हेमराज का 1/3 हिस्सा विधिनुसार बनता था जिस पर संयुक्त हिन्दू परिवार का कब्जा काश्त विद्यमान था तत्पश्चात हेमराज के देहान्त के पश्चात उत्तरदाता सख्या 1 सबसे ज्येष्ठ पुत्र होने से शेष तीनों भाईयों ने वादग्रस्त खेतों में नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतू कहा तब उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा शेष भाईयों एवं अपीलकर्ता को विश्वास दिलाया कि सभी वारिसों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया जाएगा। अपीलकर्ता ने भी अपने बड़े भाई की बात स्वीकार कर लिया परन्तु उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी से षडयंत्र रचकर अपीलकर्ता का नाम विलोपित करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 144 विधि विरूद्व जाकर पारित करवा दिया गया। जिसका ज्ञान अपीलकर्ता को नहीं हुआ। उक्त अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील निम्नांकित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है कि उतरदाता संख्या 14 ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 144 आदेश दिनांक 31.05.1989 को पारित करने में विध की भारी भूल की है। वास्तव में वादग्रस्त खेत अपीलकर्ता के पूर्वज मुतवफी सुजा पुत्र लाखा की खातेदारी में इन्द्राज वक्त सेटलमेन्ट किये गये थे एवं तत्पश्चात् सुजा के देहान्त के पश्चात् उनके सातो पुत्रों के नाम जरिये नामान्तरकरण राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया गया था तत्पश्चात् सुजा के चार पुत्र पाकिस्तान चले गये जिससे वादग्रस्त खेतों में उनका हिस्सा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दिया गया एवं शेष तीनों भाईयो की खातेदारी वादग्रस्त खेतों में विद्यमान रही। वादग्रस्त खेतों में अपीलकर्ता के पिता मुतवफी हेमराज का 1/3 हिस्सा विधिनुसार निहित था एवं हेमराज के देहान्त के पश्चात् उसके वैध वारिसों में अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 से 4 तत्सयम विद्यमान थे परन्तु उतरदाता संख्या 1 द्वारा तत्कालिन सरपंच को अनुचित रूप से

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

.वत कर अपीलकर्ता का नाम विलोपित करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण उतरदाता संख्या 1 से 4 के नाम स्वीकृत करवा दिया गया। जबकि हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलकर्ता मुतवफी हेमराज का जायदा पुत्र होने से प्रथम श्रेणी का वारिस विद्यमान था। परन्तु तत्कालिन पटवारी हल्का एवं तत्कालिन सरपंच को उतरदाता संख्या 1 द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित कर अपीलकर्ता का नाम विलोपित करवा दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलकर्ता के हितो तक प्रारम्भतः शून्य एवं अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त खेतों पर अपीलकर्ता अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज चला आ रहा है वादग्रस्त खेतों में अपीलकर्ता के पिता हेमराज का 1/3 हिस्सा विधिनुसार निहित था तथा अपने पिता के देहान्त के पश्चात् उनके प्रथम श्रेणी के वारिसानों में उनके चार पुत्र क्रमशः सोनाराम, कमा, सवदान, छगन व उनकी पत्नि भाणी विद्यमान थे। इस प्रकार वादग्रस्त खेतों में सभी पांचों वारिसों का 1/15, 1/15 हिस्सा निहित हो चुका था परन्तु अपीलकर्ता के बडे भाई कमा द्वारा अपीलकर्ता को अपने हिस्से से महरूम रखने के उद्वेश्य से अपीलकर्ता का नाम विलोपित कर अपीलाधीन आदेश उतरदाता संख्या 1 से 4 के नाम पारित करवा दिया गया। जो पूर्णतया विधि विरूद्ध जाकर पारित करवाया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जमाबन्दी व नामान्तकरण की कार्यवाहीय ग्राम पंचायत की आम बैठक अर्थात मजमे आम में की जाती है परन्तु अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत की आम बैठक में न रखकर पंचायत के कार्यालय में बैठकर अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया। यदि वास्तव में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व आम बैठक में अपीलाधीन नामान्तकरण पर चर्चा की जाती तो यह अवश्य सिद्ध होता कि मुतवफी हेमराज के देहान्त के पश्चात उसके प्रथम श्रेणी के उसके चार पुत्र व उसकी पत्नि विद्यमान है जिससे यह प्रथम दृष्टया स्थापित होता है कि अपीलाधीन नामान्तकरण ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्तुत ही नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन आदेश विधि से परे जाकर पारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर ही नहीं दिया गया। यदि वास्तव में अपीलाधीन आदेश पारित करने पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मुतवफी हेमाराम के वैध वारिसों की जांच की होती तो अवश्य अपीलकर्ता का नाम तत्सयम अपीलाधीन आदेश में इन्द्राज हो जाता परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा मुतवफी हेमराज के वारिसों को न तो किसी प्रकार की सुचना दी गई और न ही कोई नोटिस दिया गया ऐसी स्थिति में यह प्रथम दृष्टया स्थापित होता है कि ग्राम पंचायत (उतरदाता संख्या 14) द्वारा अपीलाधीन आदेश पूर्णतया एकपक्षीय व अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है जो प्रारम्भत शून्य होन से निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त खेतो पर अपीलकर्ता अपने जन्म से ही निवास करते है तथा अपने पिता के जीवनकाल में ही काश्त करता आ रहा था। अपने पिताजी हेमराज के देहान्त के पश्चात् जो नामान्तकरण की कार्यवाही की गई वह पूर्णतया विधि विरूद्ध जाकर की गई। यदि वास्तव में ततकालिन ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त खेतों का मौका मुआयना किया जाता तो अवश्य ही अपीलकर्ता की ढाणी, टांके, चारागाह एवं पशुओं के बाडे इत्यादि विधमान थे जो अवश्य ही उतरदाता संख्या 1 द्वारा रचे गये षड़यंत्र का ज्ञान ततसमय ही हो जाता परन्तु तत्कालिन पटवार हल्का एवं सरपंच उतरदाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अनुचित रूप से प्रभावित होने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच इत्यादि नहीं की गई केवल मात्र उतरदाता संख्या 1 के कहे अनुसार ही अपीलाधीन नामान्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई। ऐसी स्थिति में यह प्रथम दृष्टया स्थापित है कि उतरदाता संख्या 14 ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध जाकर अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना व एक पक्षीय रूप से तथा विधिक सिद्धान्त दूसरे पक्ष को भी सुनने की घोर अवहेलना करते हुए यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया अपीलकर्ता के हितों तक शून्य एवं निष्प्रभावी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलकर्ता वादग्रस्त खेतो पर बतौर हेमराज के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के नाते काबिज काश्त चला आ रहा है इतना ही नहीं अपीलकर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है तथा अपीलकर्ता का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि भी अपने पिता हेमराज की वल्दियत अंकित है तथा वादग्रस्त खेतों पर जन्म से ही निवास करता आ रहा है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा जानबुझकर उतरदाता संख्या 1 से अनुचित रूप से प्रभावित होकर अपीलकर्ता को उसके खातेदारी अधिकारों से जानबुझकर वंचित किया गया है जो कि किसी भी दृष्टकोण में अपीलाधीन आदेश अपीलकर्ता के हितो तक प्रारम्भतः शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों के अन्तर्गत मुतवफी हेमराज के 4 लडके एवं पत्नि जो वैध वारिसान है परन्तु ग्राम पंचायत ने इस कानूनी पहलुओ को नजरदांजी कर अपने विवेक के प्रयोग किये बिना अपीलकर्ता का नाम विलोपित कर उतरदाता संख्या 1 से 4 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। उतरदाता संख्या 5 से 13 वादग्रस्त खेतो के सह खातेदार होने से बतौर उतरदाता के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है परन्तु उनसे किसी प्रकार की सहायता अपीलकर्ता द्वारा नहीं चाही गई है। अपीलकर्ता के पिता हेमराज के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त खेतो में हेमराज के प्रथम श्रेणी के वारिसों में उसके चार लड़के क्रमशः सोनाराम, कमा, सवदान, छगन व पत्नि भाणी विधमान थे तब बड़े पुत्र कमाराम को मुतवफी हेमराज के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में सभी वारिसानो के नाम इन्द्राज करते हेतू कहा गया तब उतरदाता संख्या 1 द्वारा सभी वारिसों को यह विश्वास दिलाया कि हेमराज के स्थान पर सभी का नाम इन्द्राज करवा देंगे। उतरदाता संख्या 1 घर में ज्येष्ठ पुत्र होने से सभी ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया परन्तु उतरदाता संख्या 1 द्वारा अपीलकर्ता को उसके हिस्से से महरूम रखने के उद्वेश्य से तत्कालिन पटवारी हल्का एवं सरपंच से अनुचित रूप से मिलावट कर अपीलकर्ता का नाम विलोपित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया। अपीलकर्ता अनपढ, ग्रामीण परिवेश का भोला भाला व्यक्ति होने से एवं अपने बडे भाई पर विश्वास के कारण का तत्समय अपीलकर्ता को अपीलकर्ता को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं हो सका। अर्सा 20 दिन पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 का केम्प ग्राम पंचायत पर आयोजित होने पर अपीलकर्ता द्वारा उतरदाता संख्या 1 से 3 को वादग्रस्त खेतों में पूर्व में हुए बाहमी बंटवाडे को विधिवत बंटवाड़ा कर खेत अलग करने हेतू निवेदन किया जिस पर उतरदाता संख्या 1 से 3 द्वारा आनाकानी करने लगे तब अपीलकर्ता द्वारा पटवारी हल्का से जमाबन्दी की प्रति दिनांक 02.12.2021 को प्राप्त की तो पटवारी हल्का ने अपीलकर्ता को बताया कि वादग्रस्त खेतों में आपका नाम नहीं है केवल उतरदाता संख्या 1 से 4 का नाम व अन्य सह

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

.दारी के नाम अंकित है तब अपीलकर्ता द्वारा बाड़मेर आकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से वादग्रस्त अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतू 28.12.2021 आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो उसी दिन अपीलकर्ता को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ। ऐसी स्थिति में ज्ञान की अवधि में यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है फिर भी इस अपील को पेश करने में जो सद्भावि विलम्ब हुआ है उसे निरस्त करने हेतू धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नवापुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 144 जो दिनांक 31.05.1989 को निरस्त किया जावे एवं मुतवफी हेमराज के वैध वारिसों अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार से है राजस्व रेकर्ड का अवलोकन पर पाया कि ग्राम जगदम्बानगर के खसरा संख्या 40 रकबा 59.05 बीघा, ग्राम दासोरिया के खसरा संख्या 246/263 रकबा 85.18 बीघा, ग्राम नवापूरा के खसरा संख्या 94 रकबा 8.04 बीघा में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में केसा, खीमा, दरगा पिता कमा, उगम पुत्री कमा, तुलछी पत्नि कमा 1/12 सवदान, छगन पिता हेमराज 1/6 हिस्सा, भाणी पत्नि हेमराज 1/12 हिस्सा के नाम दर्ज है। मौके पर उपस्थित मुखिया मोतबरानों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि सोनाराम पुत्र हेमराज जाति कोली का नाम ग्राम नवापुरा के नामान्तरकरण संख्या 144 में हेमराज पुत्र सुजा का विरासत का नामान्तरकरण भरते समय दर्ज नहीं किया गया। उपस्थित मोतबरानों व पड़ोसियों ने बताया कि उपरोक्त वंशावली के अनुसार मृतक हेमराज पुत्र सुजा जाति कोली के वारिसान सही है। वादीगण का नाम पहचान दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में व बिजली के बिल में सोनाराम पुत्र हेमराज दर्ज है। मौके पर वादीगण का अपने हिस्से की भूमि काश्त कब्जा, रहवासी ढाणी, टांके व अन्य निर्माण है। हेमराज पुत्र सुजा फौत होने पर ग्राम नवापुरा के खसरा संख्या 40 रकबा 59.05 बीघा, खसरा संख्या 94 रकबा 8.04 बीघा, खसरा संख्या 163 रकबा 85.18 बीघा में से उसके हिस्से की भूमि का विरासत का ग्राम नवापुरा का नामान्तरकरण संख्या 144 खोला गया था। जिसमें नामान्तरकरण भरते समय उसके उतराधिकारी में से सोनाराम पुत्र हेमराज, सीता, मीरो, रूपो पुत्रीया हेमराज का नाम दर्ज होने से छूट गया था। अतः वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम नवापुरा के खसरा संख्या 94 रकबा 1.3274 हेक्टर ग्राम जगदम्बानगर के खसरा संख्या 387/40 रकबा 3.1727 हैक्टर, खसरा सख्या 0.0728 हैक्टर, ग्राम दासोरिया के खसरा संख्या 327/163 रकबा 4.5406 हैक्टर भूमि में उपरोक्त नवापुरा के नामान्तरकरण खसरा संख्या 144 में दर्ज होने से हेमराज पुत्र सुजा के वारिसान में से छूटे वारिसों का नाम दर्ज किया जाना उचित है। ग्राम-जगदम्बानगर के खसरा संख्या 40 व दासोरिया खसरा संख्या 246/163 का आपसी सहमति विभाजन होने से राजस्व रेकर्ड दर्ज हेमराज पुत्र सुजा के उतराधिकारों के हिस्से में उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर व रकबा दर्ज हुआ है जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न है। उक्त मौका फर्द उपस्थित सभी का पढकर सुनाई गई सभी ने सुन समझ कर अपने अपने–अपने हस्ताक्षर/अगुष्ठ किये।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अपीलान्ट की अपील दर्ज कर उतरदातागण को सम्मन तलब किये गये। उतरदातागण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

अपीलांट वकील उपस्थित। अपीलांट वकील ने उक्त अपील पर बहस सुनने का निवेदन किया। अपीलांट वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की आंशिक रूप से स्वीकार कि जाती है तथा **तहसीलदार सेड़वा को आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि विवादित नामान्तकरण में समस्त दस्तावेजों एवं विधिक वारिशान को विधि सम्मत विश्लेषण एवं सुनवाई करने के पश्चात विधिपूर्वक नामान्तकरण की कार्यवाही की जावें।** पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13/4/23 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा (बाड़मेर)